न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
07/2022	20/01/2022	01.07.2024

1. कैलाश पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी ग्राम केलनवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. छोटू पुत्र मांग्या
3. जगदीश पुत्र मांग्या

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम केलनवास तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री सत्यपाल गुर्जर – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् राजस्व रिकार्ड दुरूस्त
अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुर्जर के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 70/62 रकबा 3.1360 है0 के साबिक खसरा नम्बर 62मिन रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 62मिन रकबा 2 बीघा 88 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा ग्राम केलनवास पटवार हल्का सामरेड कलां तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जो कि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जिसको आगे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पूर्व खसरा नम्बर 62मिन रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 62मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के नाम सामलाती हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थिति रही है जो कि जमाबन्दी संवत् 2034 से 36 व राजस्व जमाबन्दी 2043 से 45 व राजस्व जमाबन्दी संवत् 2047 से 50 में प्रार्थी का नाम दर्ज था जिसके तहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूव राजस्व रिकार्ड से नवीन जमाबन्दी संवत् 2050 से 54 बनाते समय प्रार्थी छोटू, जगदीश, कैलाश पिता मांग्या के स्थान पर प्रार्थी के नाम को हटाते हुये छोटू, जगदीश पिता मांग्या अंकित कर दिया जो कि एक लिपिकीय भूल है जिस पश्चात वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 व उसके बाद बनी जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम अंकित नही किया गया जिसे पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपने पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर छोटू पुत्र मांग्या, जगदीश पुत्र मांग्या व कैलाश पुत्र मांग्या प्रत्येक का हिस्सा 1/9 करवाने का अधिकारी है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व राजस्व रिकार्ड से नवीन जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थी के नाम को हटाकर मात्र अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 का नाम ही त्रुटिवश अंकित कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी बनाते समय पूर्व राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी अनुसार ही नवीन जमाबन्दी बनाई जानी थी उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी

त हाल खसरा नम्बर 70/62 रकबा 3.1360 है0 में अंकित छोटू पुत्र मांग्या हिस्सा 1/6 व जगदीश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/6 को दुरूस्त कर पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार कैलाश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 व छोटू पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 व जगदीश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 किया जाकर वर्तमान राजस्व जमाबन्दी मे अंकन किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 ता 3 ने दिनांक 25.06.24 को उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 2 ता 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में मद सं0 1 स्वीकार है। मद सं0 2 में अंकित तथ्य कि खातेदारी भूमि पूर्व खसरा नम्बर 62 मिन रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 62 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के नाम सामलाती हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित रही है जो कि राजस्व जमाबन्दी संवत् 2050 तक प्रार्थी का नाम दर्ज रहा है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत् 2050 से 54 की जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थी छोटू , जगदीश, कैलाश पिता मांग्या के स्थान पर प्रार्थी के नाम को हटाते हुये मात्र गैरसायल/अप्रार्थी... मिनउत्तरदाता छोटू, जगदीश पिता मांग्या अंकित कर दिया और उसी अनुसार हाल खसरा नम्बर 70/62 रकबा 3.1360है0 में छोटू, जगदीश पिता मांग्या ही दर्ज स्थित है। जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि में छोटू, जगदीश, कैलाश पिता मांग्या पूर्व रिकार्ड अनुसार किया जाना न्यायहित में किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र का मद सं0 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्वीकार है। ग्राम केलनवास के हाल खसरा नम्बर 70/62 रकबा 3.1360है0 में अंकित छोटू पुत्र मांग्या हिस्सा 1/6 व जगदीश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/6 को दुरूस्त कर पूर्व राजस्व रिकाड अनुसार कैलाश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9, छोटू पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9, जगदीश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में अंकन किया जावें। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल.आर./2024/3248 दिनांक 20.06.2024 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम केलनवास में खसरा नम्बर 70/62 रकबा 3.1360है0 मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2076 से स्थाई में खातेदार छोटू पुत्र मांग्या हि0 1/6, जगदीश पुत्र मांग्या हि0 1/6 जाति मीना सा0देह धन्नी पत्नि भैरूराम हि0 2/3 जाति मीना सा. पालडी मीना, जिन्दो की ढाणी, चूंगी नाका, आगरा रोड, जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 60मिन संवत् 2043 से संवत् 2050 में छोटू, जगदीश, कैलाश पि0 मांग्या मु.लादी बेवा धन्ना, नाथू पुत्र चन्दा जाति मीना सा0दह खातेदार रिकार्ड दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2051 से 2053 के कैलाश पुत्र मांग्या का नाम सहवन से हट गया। खसरा नम्बर 70/62 के कैलाश पुत्र मांग्या का नाम दर्ज किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब, अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम केलनवास, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 70/62 रकबा 3.1360है0 मे अंकित छोटू पुत्र मांग्या हिस्सा 1/6 व जगदीश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/6 को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार कैलाश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 व छोटू पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 व जगदीश पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9 दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में अंकन किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ